न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 106/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 6.9.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 रामलाल आत्मज धन्नालाल
2 हेमराज आत्मज धन्नालाल
3 पुष्पाबाई पुत्री धन्नालाल
4 रामगोपाल आत्मज धन्नालाल
5 कन्हैयालाल आत्मज रघुनाथ
6 पप्पूलाल आ0 रघुनाथ
7 भवानी शंकर आत्मज रघुनाथ
8 सोसरबाई पुत्री रघुनाथ
9 मथरीबाई बेवा रघुनाथ
जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा।

... अपीलार्थी

बनाम

1 मोडूलाल आत्मज रामनाथ जाति लश्करी निवासी बोरखेडा गायत्री बिहार द्वितीय कोटा।
2 राजेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति लश्करी निवासी गांधी कॉलोनी के आगे चन्द्रेसल रोड कोटा।
3 ग्राम पंचायत बमोरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी

—:::निर्णय:::—

दिनांक 11.1.2018

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 2/16 अपील अन्तर्गत धारा 75एलआरएक्ट बउनवान रामलाल वगेरा बनाम मोडूलाल आदि मे पारित आदेश दिनांक 1.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है।

2 अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे ग्राम पंचायत बम्बोरी द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 102 दिनांक 6.5.2004 गलत रूप से तस्दीक किया जाने का उल्लेख करते हुये वर्णित किया कि जैलाल पुत्र धन्नालाल लाओलाद फोत हुआ है रेस्पो0 क्रम–2 जेलाल के भ्राता रामनाथ का पुत्र है जिसे कभी गोद नही लिया है इसलिए इन्तकाल नम्बर 102 दिनांक 6.5.2004 खारिज किया जावे। अधीनस्थ

न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 1.6.2017 से इन्तकाल सही खोला जाना व प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने के कारण अपील सारहीन होने से खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि हरदो आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय व सचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया कि जैलाल लाऔलाद फौत हुवा है जिनके अपीलांट एकमात्र प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान है तथा बाद मृत्यु उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो0 कम–2 मृतक जैलाल के भाई रामनाथ का पुत्र है जिसके द्वारा षडयंत्र रचकर अपने आपको बिना किसी आधार व साक्ष्य के गोदपुत्र मानकर इंतकाल सं0 102 दिनांक 6.5.2004 तस्दीक करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलांट की अपील खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का नोटिस जारी नही किया अन्य काम से शिविर मे उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थिति बावत हस्ताक्षर करवाये गये है अतः लोक अदालत की भावना के विपरित सभी पक्षकारान की सहमति व जानकारी के बिना आदेश प्रदान किया गया तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निर्णय किये बिना व कब्जे की जांच किये बिना ही अपील खारिज कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय आदेश खारिज किया जाकर अपीलांट के नाम इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 उपस्थित नही हुये अतः दिनांक 21.12.2017 को रेस्पो0 की तामील मानते हुये प्रकरण मे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गईं।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि ग्राम पंचायत बम्बोरी द्वारा नामा0 सं0 102 दिनांक 6.5.2004 गलत रूप से तस्दीक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसका गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित नही जेरअपील निर्णय दिनांक 1. 6.2017 से मियाद के बिन्दू पर अपील खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस मे प्रकट किया कि जैलाल पुत्र धन्नालाल लाओलाद फोत हुआ है रेस्पो0 कम–2 जेलाल के भ्राता रामनाथ का पुत्र है जिसे जैलाल ने कभी गोद नही लिया है विवादित आराजी पर सभी भाईयो का कब्जा काश्त है सभी भाईयो को सुनवाई का अवसर नही दिया इसलिए इन्तकाल नम्बर 102 दिनांक 6.5.2004 खारिज योग्य था किन्तु उक्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिये बगेर व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही अपील को जेरअपील आदेश से खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश जानकारी की तिथी 20.7.2017 से अपील अवधि मध्य पेश किया जाना वर्णित किया गया। चूंकि प्रकरण मे रेस्पो0 ने उपस्थित नही हुये है। अतः अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई न्यायोचित आधार उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख जेरअपील निर्णय दिनांक 1.6.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत बम्बोरी द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 102 दिनांक

6.5.2004 बिना किसी आधार व साक्ष्य के गोदपुत्र मानते हुये रेस्पो0 क्रम–2 के नाम तस्दीक किये जाने से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर निर्णित नही कर अवधि बाहर होने से जेरअपील आदेश दिनांक 1.6.2017 से खारिज किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जैलाल लाऔलाद फोत हुवा है रेस्पो0 क्रम–2 जेलाल का गोदपुत्र नही है विवादित आराजी पर सभी भाईयो को कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व सभी भाईयों को नोटिस जारी कर सुना जाना चाहिये था। अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निर्णय नहीं किया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है। अपीलांट के उक्त तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/आदेश दिनांक 1.6.2017 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण मे सारवान व कानूनी बिन्दू निहित होना प्रकट होता है। अतः विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित अभिमत अनुसार जहॉ प्रकरण मे सारवान व कानूनी बिन्दू निहित हो वहां प्रकरण को मियाद के प्रश्न पर खारिज किया जाना उचित नही है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण नही कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के उक्त तर्क विधिसम्मत होने से जेरअपील आदेश 1.6.2017 को न्यायोचित नही माना जाता सकता। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश मे विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर जेरअपील आदेश दिनांक 1.6.2017 आपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा प्रकरण सं0 2/16 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान रामलाल वगेरा बनाम मोडूलाल आदि मे पारित आदेश दिनांक 1.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णयार्थ बिन्दू सं0 6 मे विवेचित तथ्यो के आलोक मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा